ए.

मोहम्मद जुबैर बनाम।

एन. सी. टी. दिल्ली और ओ. आर. एस. का राज्य (2022 की लिखित याचिका (आपराधिक) संख्या 279) 20 जुलाई, 2022

बी.

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़**,** सूर्या कांत और ए**.** एस**.** बोपन्ना**,** जे**.** जे**.]**

आपराधिक कानून-कार्यवाही की बहुलता-दंड संहिता, 1860-एस.153-ए, 295-ए, 201,120-बी-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973।437, 438, 482 – भारत का संविधान-कला। 32, 226 – विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 -एस. 35-ए. एल. टी. न्यूज़, एक तथ्य जाँच पोर्टल, के सह-संस्थापक याचिकाकर्ता के खिलाफ दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ में यू/एस. एस. द्वारा दंडनीय कथित अपराधों के लिए 2022 की एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी।153-ए, 295-ए, 2 201 और 120-बी, भारतीय दण्ड संहिता सी.-अपराध यू/एस।35, एफ. सी. आर. ए. ने अनुसंधान के दौरान कहा-उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज क्रमिक एफ. आई. आर.-पांच एफ. आई. आर. को रद्द करने और पीएस खैराबाद, जिला में दर्ज एफ. आई. आर. संख्या 226/2022 के साथ उक्त एफ. आई. आर. को जोड़ने के लिए दायर याचिका।एफ. आई. आर. सं. 172/2022 के साथ सीतापुर-आयोजितःअनिवार्य रूप से, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप उनके द्वारा किए गए ट्वीट्स से संबंधित हैं-याचिकाकर्ता को एफ़. आई. आर. 172/2022 से उत्पन्न कार्यवाही में नियमित जमानत दी गई थी-इसके अलावा, एफ़. आई. आर. नंबर 226/2022 से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही में, याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत दी गई थी जिसे आगे के आदेशों तक बढ़ा दिया गया था-हालाँकि, याचिकाकर्ता अभी भी उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज लगातार एफ़. आई. आर. में उलझा हुआ है जहाँ वह न्यायिक हिरासत में है और जमानत देने के लिए आवेदन लंबित हैं-इस तथ्य के बावजूद कि एक ही ट्वीट ने कथित रूप से विविध एफ़. आई. आर. में समान अपराधों को जन्म दिया है, याचिकाकर्ता को देश भर में कई जांचों के अधीन किया गया था-उसके खिलाफ आपराधिक न्याय की मशीनरी को अथक रूप से नियोजित किया गया है-इसके अलावा, केवल इसलिए कि

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

494

495

मोहम्मद जुबैर बनाम दिल्ली और ओ. आर. एस. के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का राज्य।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भयावह प्रभाव-पैराग्राफ (i) में निर्धारित प्राथमिकियों के संबंध में याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत पर बढ़ा दिया गया है-उक्त प्राथमिकियों की अनुसंधान उत्तर प्रदेश पुलिस से दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को स्थानांतरित कर दी गई है-डीजीपी, उत्तर प्रदेश द्वारा गठित एसआईटी भंग कर दी गई है-उपरोक्त निर्देश किसी भी अन्य प्राथमिकियों के लिए दिए गए हैं जो याचिकाकर्ता के खिलाफ उसी विषय के मामले के संबंध में दर्ज की जा सकती हैं जैसा कि उक्त प्राथमिकियों में किया गया है-इसके अलावा, 2021 के अपराध के संबंध में पी. एस. चरथावल, मुजफ्फरनगर में दर्ज कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस अदालतों को स्थानांतरित कर दी गई-याचिकाकर्ता को जमानत पर विस्तारित करने का आदेश लागू रहने के लिए-जबकि, अनुरोध के अनुसार प्राथमिकियों को रद्द नहीं किया जा रहा है, लेकिन याचिकाकर्ता को482, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उन प्राथमिकियों के संबंध में सी. आर. पी. सी. जो उनके खिलाफ दर्ज की गई हैं या जो दर्ज की जा सकती हैं।

बी.

सी.

आपराधिक कानून-गिरफ्तारी की शक्ति बनाम गिरफ्तारी की शक्ति-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -धारा 41 (1) (बी) (ii)-आयोजितःगिरफ्तारी की शक्ति के अस्तित्व को गिरफ्तारी की शक्ति के प्रयोग से अलग किया जाना चाहिए-गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए-पुलिस अधिकारियों को आपराधिक न्याय प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की शक्ति निहित है-हालाँकि, यह शक्ति बेलगाम नहीं है-एस के संदर्भ में।41(1)(ख) (ii), विचाराधीन पुलिस अधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है-पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे अपने सामने मामले पर अपना दिमाग लगाएं और यह सुनिश्चित करें कि शर्त (ओं) में।41 गिरफ्तारी करने से पहले उनसे मुलाकात की जाती है-अर्नेश कुमार में निर्धारित दिशानिर्देशों का बिना किसी अपवाद के पालन किया जाना चाहिए।

डी.

ई.

एफ.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-ss.437, 438 – जमानत की शर्तें-आयोजितः न्यायालय द्वारा लगाई गई जमानत की शर्तों का न केवल उस उद्देश्य के साथ संबंध होना चाहिए जिसे वे पूरा करना चाहते हैं, बल्कि उन्हें लागू करने के उद्देश्य के आनुपातिक भी होना चाहिए।

आंशिक रूप से रिट याचिका की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

जी.

पकड़नाः**1.1** रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा की गई अनुसंधान प्रकृति में व्यापक है और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए ट्वीट्स के सरगम में फैली हुई है।याचिकाकर्ता को अतिरिक्त अदालत के **15** जुलाई **2022** के एक आदेश द्वारा प्राथमिकी संख्या **172/2022** से उत्पन्न कार्यवाही में नियमित जमानत दी गई थी।

एच.

496 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 18 एस. सी. आर.

ए.

पटियाला हाउस न्यायालयों में सत्र न्यायाधीश।सीतापुर जिले के पीएस खैराबाद में दर्ज प्राथमिकी संख्या **226/2022** से उत्पन्न इस अदालत में पहुंची कार्यवाही में, याचिकाकर्ता को **8** जुलाई **2022** को अंतरिम जमानत दी गई थी।अंतरिम जमानत देने के आदेश को **12** जुलाई **2022** को आगे के आदेशों तक बढ़ा दिया गया है।हालाँकि, पहले इस अदालत द्वारा **12** जुलाई **2022** को और फिर **15** जुलाई **2022** को पटियाला हाउस अदालतों द्वारा जमानत की मंजूरी, याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं रही है।याचिकाकर्ता अभी भी लगातार प्राथमिकियों में उलझा हुआ है जो उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज की गई हैं जहां वह न्यायिक हिरासत में है और जमानत देने के लिए आवेदन लंबित हैं।अभियोजन पक्ष पुलिस रिमांड के आदेश की मांग करता है।**[**पैरा **17-19] [507-G-H; 508-A-C]**

बी.

सी.

1.2 अनिवार्य रूप से, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप उन ट्वीट्स से संबंधित हैं जो उनके द्वारा लगाए गए हैं।हाथरस कोटवाली, सिकंदर राव और खैराबाद के पुलिस थानों द्वारा सीआरपीसी की धारा **91** के तहत जारी किए गए तीन नोटिस शब्दशः समान हैं।रिकॉर्ड से पता चला है कि याचिकाकर्ता को दिल्ली पुलिस द्वारा निरंतर अनुसंधान के अधीन किया गया है, याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता से वंचित करने का कोई कारण या औचित्य नहीं है।

नतीजतन, याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद **32** के तहत इन कार्यवाही का विषय बनने वाली प्रत्येक प्राथमिकी में अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।गिरफ्तारी की शक्ति के अस्तित्व को गिरफ्तारी की शक्ति के प्रयोग से अलग किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए।वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को आगे भी निरंतर हिरासत में रखने और विभिन्न अदालतों के समक्ष उसे अंतहीन दौर की कार्यवाही के अधीन करने का कोई औचित्य नहीं है, जब याचिकाकर्ता द्वारा किए गए ट्वीट्स से उक्त प्राथमिकियों में से प्रत्येक में आरोपों की गंभीरता सामने आती है, और जो दिल्ली पुलिस द्वारा एफ. आई. आर. **172/2022** में की जा रही अनुसंधान का विषय भी है।इसके अलावा, इस न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने में अदालतों की भूमिका को दोहराया कि जांच का उपयोग उत्पीड़न के उपकरण के रूप में नहीं किया जाए।**[**पैरा **20,21] [508-**सी-एफ; **509-**ई**]**

डी.

ई.

एफ.

जी.

अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम भारत संघ **(2020) 14**

एस. सी. सी. **12-**पर निर्भर।

एच.

497

मोहम्मद जुबैर बनाम दिल्ली और ओ. आर. एस. के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का राज्य।

ए.

1.3 जहाँ तक एफ. आई. आर. को रद्द करने की प्रार्थना का संबंध है, मामले का एक आवश्यक पहलू जिस पर इस स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वह यह है कि एफ. आई. आर. संख्या **172/2022** में दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा की गई अनुसंधान उन अपराधों से संबंधित है जो उत्तर प्रदेश में पुलिस थानों के समक्ष दर्ज की गई एफ. आई. आर. में दर्ज किए गए हैं।इससे पहले कि यह अदालत अनुसंधान शुरू कर सके कि क्या प्राथमिकियों को रद्द किया जाना चाहिए, यह उचित है कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद **226** और/या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **482** के प्रावधानों के अनुसार अपने उपायों का पालन करे। हालांकि, एक निष्पक्ष अनुसंधान प्रक्रिया के लिए आवश्यक होगा कि सभी प्राथमिकियों में पूरी अनुसंधान को समेकित किया जाए और एक अनुसंधान प्राधिकरण को सौंपा जाए।एफ. आई. आर. में ओवरलैप, जैसा कि वे याचिकाकर्ता के

ट्वीट्स से निकलते हैं, केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों के एक विविध समूह द्वारा टुकड़ों में अनुसंधान के विपरीत, एक समेकित की आवश्यकता पर जोर देता है।याचिकाकर्ता की ओर से की गई वैकल्पिक प्रार्थना को स्वीकार किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई सभी प्राथमिकियों को, जिसमें याचिकाकर्ता के ट्वीट से उत्पन्न प्राथमिकियां भी शामिल हैं, अनुसंधान के लिए दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।निर्देश के परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गठित एस. आई. टी. को निरर्थक बना दिया जाएगा और उसे भंग कर दिया जाएगा। हालांकि इस न्यायालय ने प्रार्थना **(ए)** में मांगी गई प्राथमिकियों को रद्द करने के लिए आगे नहीं बढ़ाया है, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिकियों को रद्द करने की मांग करने की सलाह दी जाने की स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **482** के तहत कार्यवाही में दिल्ली उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दी गई है।एफ. आई. आर. के संबंध में सभी कार्यवाही दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसे उपायों के लिए होगी जो कानून में उपलब्ध हैं।उत्तर प्रदेश में दर्ज एफ. आई. आर. की अनुसंधान को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को स्थानांतरित करने का निर्देश याचिकाकर्ता द्वारा किए गए ट्वीट्स के विषय को बनाने वाली सभी मौजूदा एफ. आई. आर. और भविष्य में उसी विषय पर उसके खिलाफ दर्ज की जाने वाली किसी भी एफ. आई. आर. पर लागू होगा।यह भी आदेश और निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता अंतरिम जमानत के सुरक्षात्मक आदेश का हकदार होगा जो इस न्यायालय द्वारा न केवल उन प्राथमिकियों के संबंध में दिया गया है जो

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

पहले से ही दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन उन प्राथमिकियों के संबंध में भी जो उनके द्वारा किए गए ट्वीट्स के संबंध में उसी विषय पर दर्ज की जाएंगी।याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक न्याय की मशीनरी को अथक रूप से नियोजित किया गया है।इस तथ्य के बावजूद कि एक ही ट्वीट ने कथित रूप से उल्लिखित विभिन्न प्राथमिकियों में समान

अपराधों को जन्म दिया, याचिकाकर्ता को देश भर में कई जांचों के अधीन किया गया था। नतीजतन, उन्हें जिलों में कई अधिवक्ताओं को नियुक्त करने, जमानत के लिए कई आवेदन दायर करने, अनुसंधान के उद्देश्यों के लिए दो राज्यों में फैले कई जिलों की यात्रा करने और कई अदालतों के समक्ष अपना बचाव करने की आवश्यकता होगी, सभी कार्रवाई के एक ही कथित कारण के संबंध में।नतीजतन, वह आपराधिक प्रक्रिया के एक दुष्चक्र में फंस जाता है जहां प्रक्रिया ही सजा बन गई है।ऐसा भी प्रतीत होता है कि **2021** से कुछ निष्क्रिय प्राथमिकियों को सक्रिय कर दिया गया था क्योंकि कुछ नई प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं, जिससे याचिकाकर्ता को होने वाली कठिनाइयों को बढ़ाया गया था।**[**पैरा **22-25] [510-C-H; 511-A-E]**

बी.

सी.

डी.

1.4 पुलिस अधिकारियों को आपराधिक न्याय प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की शक्ति निहित है, जिसमें अनुसंधान के दौरान भी शामिल है।लेकिन यह शक्ति बेलगाम नहीं है।सी. आर. पी. सी. की धारा **41 (1) (**बी**) (2)** के संदर्भ में, विचाराधीन पुलिस अधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए कि इस तरह की गिरफ्तारी गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए आवश्यक है, अपराध की उचित अनुसंधान के लिए, गिरफ्तार व्यक्ति को सबूतों के साथ छेड़छाड़ या नष्ट करने से रोकने के लिए, उन्हें संभावित गवाहों को प्रभावित करने या डराने से रोकने के लिए, या जब उन्हें गिरफ्तार किए बिना अदालत में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना संभव नहीं है। पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे अपने सामने मामले पर अपना दिमाग लगाएं और यह सुनिश्चित करें कि गिरफ्तारी करने से पहले धारा **41** की शर्तों को पूरा किया जाए।इस न्यायालय ने बार-बार ऐसा करने के महत्व को दोहराया है।यह एक बार फिर दोहराया जाता है कि अर्नेश कुमार में निर्धारित दिशानिर्देशों का बिना किसी अपवाद के पालन किया जाना चाहिए।संज्ञेय अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी की शक्तियों का कारण धारा **41** में निर्धारित किया गया है।गिरफ्तारी का उद्देश्य दंडात्मक उपकरण के रूप में उपयोग करना नहीं है और न ही किया जाना चाहिए क्योंकि इसके परिणामस्वरूप आपराधिक कानून से उत्पन्न होने वाले सबसे गंभीर संभावित परिणामों में से एक होता है:व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नुकसान।व्यक्तियों को ए होना चाहिए

ई.

एफ.

जी.

एच.

केवल आरोपों के आधार पर और निष्पक्ष सुनवाई के बिना दंडित नहीं किया जाएगा।जब गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग विवेक के प्रयोग के बिना और कानून का उचित सम्मान किए बिना किया जाता है, तो यह शक्ति का दुरुपयोग है।आपराधिक कानून और इसकी प्रक्रियाओं को उत्पीड़न के उपकरण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।सी. आर. पी. सी. की धारा **41** के साथ-साथ आपराधिक कानून में सुरक्षा उपाय इस वास्तविकता की मान्यता में मौजूद हैं कि किसी भी आपराधिक कार्यवाही में लगभग अनिवार्य रूप से एक अकेले व्यक्ति के खिलाफ असीमित संसाधनों के साथ राज्य की शक्ति शामिल होती है।धारा **438 (2)** में कहा गया है कि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय किसी व्यक्ति को सशर्त जमानत पर रिहा करने का निर्देश दे सकता है।प्रावधान में प्रावधान है कि न्यायालय किसी विशेष मामले के तथ्यों के संदर्भ में शर्तें लगाएगा।धारा **437** और **438** में निर्धारित उदाहरणात्मक जमानत शर्तों की सूची एक उचित अनुसंधान और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने या आरोपी को उस अपराध के समान अपराध करने से रोकने की आवश्यकता से संबंधित है, जिस पर उसे संदेह है, या न्याय के हित में।'न्याय के हित' वाक्यांश की व्याख्या इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों में की गई है जहां यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जमानत पर शर्तें लगाने में न्यायालय के विवेकाधिकार का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए और एक निष्पक्ष सुनवाई को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।न्यायालय द्वारा लगाई गई जमानत की शर्तों का न केवल उस उद्देश्य के साथ संबंध होना चाहिए जिसे वे पूरा करना चाहते हैं, बल्कि उन्हें लागू करने के उद्देश्य के समानुपाती भी होना चाहिए।जमानत की शर्तें लगाते समय अदालतों को अभियुक्त की स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता को संतुलित करना चाहिए।ऐसा करते समय, उन शर्तों से बचना चाहिए जिनके परिणामस्वरूप अधिकारों और स्वतंत्रताओं से वंचित होना पड़ता है।**[**पैरा **26-29] [511-F-H; 512-C-G; 513-A-B]**

बी.

सी.

डी.

ई.

अर्नेश कुमार बनामबिहार राज्य **(2014) 8** एससीसी **273:[2014] 8** एस. सी. आर. **128;** परवेज नूरदीन लोखंडवाला बनाम.

एफ.

महाराष्ट्र राज्य (2020) 10 एस. सी. सी. 77-पर निर्भर था।

1.5 केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर शिकायतें उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट से उत्पन्न होती हैं**,** इसलिए उन्हें ट्वीट करने से रोकने के लिए एक व्यापक अग्रिम आदेश नहीं दिया जा सकता है।याचिकाकर्ता को अपनी राय व्यक्त नहीं करने का निर्देश देने वाला एक व्यापक आदेश**-**एक राय कि वह एक सक्रिय भाग लेने वाले नागरिक के रूप में रखने का अधिकार रखता है**-**जमानत पर शर्तें लगाने के उद्देश्य से असमान होगा।

जी.

एच.

500 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 18 एस. सी. आर.

ए.

इस तरह की शर्त को लागू करना याचिकाकर्ता के खिलाफ एक प्रतिबंध आदेश के समान होगा।गैग आदेशों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक डरावना प्रभाव पड़ता है।याचिकाकर्ता के अनुसार**,** वह एक पत्रकार है जो एक तथ्य जाँच वेबसाइट का सह**-**संस्थापक है और वह विकृत छवियों**,** क्लिकबेट और अनुरूप वीडियो के इस युग में झूठी खबरों और गलत सूचनाओं को दूर करने के लिए संचार के माध्यम के रूप में ट्विटर का उपयोग करता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से उन्हें प्रतिबंधित करने वाला आदेश पारित करना भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने पेशे का पालन करने की स्वतंत्रता का अनुचित उल्लंघन होगा।याचिका को आंशिक रूप से जारी किए गए निर्देशों के संदर्भ में अनुमति दी गई है।**[**पैरा **30,31] [513-**ई**-**जी**; 514-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

कुणाल कुमार तिवारी बनाम बिहार राज्य**, (2018) 16** एस**.** सी**.** सी**. 74;** दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, (2013) 15** एस**.** सी**.** सी**. 570;** सुमित सिंह बनाम राज्य **(**एन**.** सी**.** टी**.** दिल्ली**) (2013) 15**

एससीसी **570:[2013] 10** एस**.** सी**.** आर**. 125-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[2014] 8 एससीआर **128**

उस पर भरोसा करें

पैरा **27 [2013]** पैरा **29** को संदर्भित **10** एस**.** सी**.** आर**. 125** पर भरोसा किया गया

डी.

पैरा **21**

(2020) 14 एससीसी **12**

(2014) 8 एस**.** सी**.** सी**. 273**

उस पर भरोसा करें

पैरा **27**

(2020) 10 एससीसी **77**

उस पर भरोसा करें

पैरा **29** को संदर्भित पैरा **29**

ई.

(2018) 16 एससीसी **74**

(2013) 15 एस**.** सी**.** सी**. 570**

संदर्भित किया गया है

पैरा **29**

आपराधिक मूल न्यायनिर्णय:2022 की लिखित याचिका (आपराधिक) संख्या 279।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत) सुश्री वृंदा ग्रोवर, सौतिक बनर्जी, सुश्री देविका तुलसीनी, मन्नत टिपनिस, आकाश कामरा, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।

एफ.

सुश्री गरिमा प्रसाद, ए. ए. जी., आदर्श उपाध्याय, हर्ष मिश्रा, अमन पाठक, अधिवक्ता। प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जी.

डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़**,** जे**.**

1. याचिकाकर्ता ए. एल. टी. न्यूज के सह-संस्थापक हैं, जो एक तथ्य जाँच पोर्टल है जो प्रवदा मीडिया फाउंडेशन के तत्वावधान में अपनी गतिविधियों का संचालन करता है।ए. एल. टी. न्यूज़ फरवरी 2017 में शुरू किया गया था।प्रवदा मीडिया फाउंडेशन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है।

एच.

501

मोहम्मद जुबैर बनाम दिल्ली और ओ. आर. एस. के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का राज्य। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

2. 20 जून 2022 को, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 153-ए, 295-ए, 201 और 120-बी के तहत दंडनीय कथित अपराधों के लिए दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ में 2022 की प्राथमिकी 172 दर्ज की गई थी।विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम 2010 2 की धारा 35 के तहत अपराध को अनुसंधान के दौरान जोड़ा गया था।याचिकाकर्ता को 27 जून 2022 को गिरफ्तार किया गया था और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आदेश से उसे एक दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली द्वारा हिरासत के आदेश को चार दिन के लिए और बढ़ा दिया गया था।30 जून 2022 को बैंगलोर में याचिकाकर्ता के आवासीय परिसर में तलाशी ली गई।पुलिस रिमांड के आदेश की वैधता को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है जिसमें 1 जुलाई 2022 को नोटिस जारी किया गया है। 2 जुलाई 2022 को, याचिकाकर्ता को चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और जमानत के लिए उनके आवेदन को पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज कर दिया गया।15 जुलाई 2022 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उन्हें नियमित जमानत दे दी।

बी.

सी.

डी.

3. दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष अनुसंधान के क्रम पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो 2022 की प्राथमिकी संख्या 172 के अनुसरण में की गई है।स्थिति रिपोर्ट अनुसंधान के पाठ्यक्रम को नोट करती है जो याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से किए गए ट्वीट्स में फैली हुई है।स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, "

इस अपराध को करने में उपयोग किए गए लैपटॉप और मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से और अन्य ट्वीट्स/पोस्ट और साजिश के बड़े हिस्से, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए आरोपी से पूछताछ के उद्देश्य से, मोहम्मद जुबेर को इस मामले में 27.06.22 पर गिरफ्तार किया गया था।उसने खुलासा किया कि वह ए. एल. टी. न्यूज़ का सह-संस्थापक है और लोकप्रियता हासिल करने के लिए वह ऐसी सामग्री/पोस्ट पोस्ट करता है जो धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देती है और वह समाचारों/सोशल मीडिया में ट्रेंड करता रहता है और

वह इस अपराध को करने में इस्तेमाल किए गए लैपटॉप और मोबाइल फोन को बरामद कर सकता है।

ई.

एफ.

4. स्थिति रिपोर्ट में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए सात ट्वीट्स का भी उल्लेख किया गया है, जिसके आधार पर विशेष प्रकोष्ठ की पुलिस अपनी अनुसंधान जारी रखे हुए है।उपरोक्त ट्वीट्स के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट का सार इस प्रकार हैः

जी.

1 “आई. पी. सी. "2" एफ. सी. आर. ए.

एच.

“

(i) ट्वीट 1:-राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के महांत बजरंग मुनि जी के खिलाफ, खैराबाद, सीतापुर, उत्तर प्रदेश।

((ii) ट्वीट 2:- संजय महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध का फेसबुक लाइव वीडियो धृतराष्ट्र को दिखा रहे हैंःबिप्लब देब. (iii) ट्वीट 3:- ‘बजरंग बली 'की आरती काम शुरू करो,' हनुमान चलीसा 'का पथ करो, बंदर कभी निशान नहीं पहुचायेगा।

बी.

((iv) ट्वीट 4:- प्राचीन लैपटॉप में कोई प्रोसेसर और रैम नहीं था। बाद में मिशनरी गणितशास्त्री चार्ल्स बाबेज ने इसकी नकल की।उन दिनों कंप्यूटर साक्षरता के लिए संस्कृत सीखना आवश्यक था।केवल विराट हिंदू ही कंप्यूटर चला सकते थे क्योंकि निचली जातियों को कभी भी संस्कृत सीखने की अनुमति नहीं थी।

सी.

(v) ट्वीट 5:- सभी के लिए समानता ही वास्तविक राम राज्य है।चाहे वह गधा हो।(vi) ट्वीट 6:- हम विष्णु ए मेरी कृष्ण "पोस्टकार्ड न्यूज" ईसाई धर्म कृष्ण नीति है और वेटिकन शहर को वाटिका कहा जाता था!!!!सुभाष चंद्र बोस के सहायक।उक्त ट्वीट मोहम्मद जुबैर

के ट्विटर अकाउंट पर मौजूद है और 25 दिसंबर, 2017 को 1 बजे पोस्ट किया गयाः20 पीएम (1 पीपी)

डी.

ई.

(vii) ट्वीट 7:- उनके द्वारा 30 अक्टूबर, 2021 को 3 बजे एक ट्वीट पोस्ट किया गया थाः03 पीएम जिसमें वेटिकन सिटी की दो तस्वीरें और शिवलिंग की एक तस्वीर दिखाई गई और उनके बीच तुलना की गई।और उन्होंने लिखा यह मुझे वाटिका-वैटिकन सिटी पर @shanknaad पोस्ट की याद दिलाता है।उक्त ट्वीट मोहम्मद जुबैर के ट्विटर अकाउंट पर मौजूद है।"

एफ.

5. दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ में दर्ज की गई उपरोक्त प्राथमिकी के अलावा, विशेष प्रकोष्ठ के समक्ष प्राथमिकी से पहले और बाद में याचिकाकर्ता के खिलाफ कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।ये एफ. आई. आर. हैंः

जी.

(i) आई. पी. सी. की धारा 153,153-ए, 295-ए, 505,120-बी और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पीएस लोनी सीमा, जिला गाजियाबाद में 15 जून 2021 को दर्ज प्राथमिकी संख्या 502/2021; (ii) आई. पी. सी. की धारा 192,504 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पीएस चरथावल, मुजफ्फरनगर में 24 जुलाई 2021 को दर्ज प्राथमिकी संख्या 199/2021;

एच.

503

मोहम्मद जुबैर बनाम दिल्ली और ओ. आर. एस. के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का राज्य। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

(iii) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पीएस चंदौली में 27 अगस्त 2021 को दर्ज प्राथमिकी संख्या 193/2021 3;

(iv) भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 153-ए, 153 बी/505 (1) बी और 505 (2) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पीएस मोहम्मदी जिला लखीमपुर में 18 सितंबर 2021 को दर्ज प्राथमिकी संख्या 511/2021; (v) भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 295-ए और आई. टी. अधिनियम की धारा 67 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पीएस खैराबाद, जिला सीतापुर में 1 जून 2022 को दर्ज प्राथमिकी संख्या 226/2022;

बी.

(vi) भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 147,149,153 ए, 353,188,120-बी और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 4 की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए थाना सिकंदराव, हाथरस में 10 जून 2022 को दर्ज प्राथमिकी संख्या 286/2022; और

सी.

(vii) भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 153-ए, 295-ए, 298 और आई. टी. अधिनियम की धारा 67 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस थाना हाथरस में 4 जुलाई 2022 की प्राथमिकी संख्या 237/2022 दर्ज की गई।

डी.

6. एफ. आई. आर. की स्थिति नीचे दी गई है:

(i) पुलिस स्टेशन चरथावाल में दर्ज प्राथमिकी संख्या 199/2021 में, याचिकाकर्ता को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 30 जुलाई 2021 को जमानत दी गई थी;

ई.

(ii) पुलिस स्टेशन मोहम्मदी में दर्ज प्राथमिकी संख्या 511/2021 में, याचिकाकर्ता को 11 जुलाई 2022 को चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।पुलिस हिरासत की मांग करने वाला एक आवेदन 20 जुलाई 2022 को प्रस्तुत करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

एफ.

(iii) खैराबाद पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी संख्या 226/2022 में, याचिकाकर्ता को 4 जुलाई 2022 को जे. एम. एफ. सी.-I, सीतापुर द्वारा 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में और 8 जुलाई 2022 से 14 जुलाई 2022 तक की अवधि के बीच पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।8 जुलाई 2022 के इस अदालत के एक आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को 2022 की विशेष अनुमति याचिका (सी. आर. एल.) संख्या 6138 में अंतरिम जमानत दी गई थी। अंतरिम जमानत के आदेश को 12 जुलाई 2022 को आगे के आदेशों तक बढ़ा दिया गया था; और

जी.

3 “आईटी अधिनियम "4" सी. एल. ए ".

एच.

(iv) हाथरस कोटवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी संख्या 237/2022 में, याचिकाकर्ता को 13 जुलाई 2022 को चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।15 जुलाई 2022 को चौदह दिनों की पुलिस हिरासत के लिए एक आवेदन दायर किया गया था।

7. इस बीच, उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गई प्राथमिकियों से उत्पन्न, याचिकाकर्ता के साथ-साथ ए. एल. टी. न्यूज/प्रवदा मीडिया फाउंडेशन (और कंपनी) के निदेशक को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 ए के तहत या, जैसा भी मामला हो, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत ऐसे दस्तावेजों को पेश करने के लिए नोटिस जारी किए गए जैसे किः(i) पिछले तीन वर्षों की बैलेंस शीट; (ii) निदेशक और सह-संस्थापकों की आयकर विवरणी; (iii) ए. एल. टी. न्यूज/प्रवदा मीडिया फाउंडेशन द्वारा कॉर्पोरेट कर के भुगतान के संबंध में विवरण; (iv) ए. एल. टी. न्यूज/प्रवदा मीडिया फाउंडेशन के पैन कार्ड; (v) पिछले तीन वर्षों के लिए ए. एल. टी. न्यूज/प्रवदा मीडिया फाउंडेशन के बैंक विवरण; (vi) ए. एल. टी. न्यूज वेबसाइट की स्थापना के बाद से प्राप्त दान का विवरण; और (vii) धन के स्रोत के संबंध में एक उपक्रम।

बी.

सी.

डी.

8. ये कार्यवाहियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान करती हैं।जो राहत मुख्य रूप से निम्नलिखित प्राथमिकियों को रद्द करने के लिए मांगी गई है, अर्थात्ः

ई.

“क) एफ. आई. आर. सं. 502/2021, dt.15.06.2021, पीएस लोनी सीमा, जिला गाजियाबाद भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153,153-ए, 295-ए, 505,120-बी और 34 के तहत।

ख) मामला अपराध सं. 199/2021, dt.24.07.2021,पीएस चरथावल, मुजफ्फरनगर यू/सेक्शन 192,504,5061 पीसी।

एफ.

ग) एफ. आई. आर. नं. 511/2021, dt.18.09.2021, पीएस मोहम्मदी जिला लखीमपुर, यू/धारा 153-ए, 153 बी/505 (1) 8 और 505 (2) भारतीय दण्ड संहिता. डी) प्राथमिकी संख्या। 237/2022, dt.04.07.2022, एक शिकायत पर पीएस हाथरस कोटवाली।14.06.2022 भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 153-ए, 295-ए, 298 और आई. टी. अधिनियम की धारा 67 के अधीन।

जी.

ई) मामला अपराध सं। 286/2022 dt.10.06.2022, हाथरस, पीएस सिकंदरराव, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 147,149,153 ए, 353,188,120-बी और सी. एल. ए. अधिनियम की धारा 7;

5 “सीआरपीसी "

एच.

505

मोहम्मद जुबैर बनाम दिल्ली और ओ. आर. एस. के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का राज्य। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

वैकल्पिक रूप से, याचिकाकर्ता एक निर्देश की मांग करता है कि एफ. आई. आर. संख्या 226/2022, पीएस खैराबाद, सीतापुर के साथ उपरोक्त एफ. आई. आर. को एफ. आई. आर. संख्या 172/2022 के साथ जोड़ा जाना चाहिए जिसकी दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा अनुसंधान की जा रही है।

9. कार्यालय ज्ञापन सं। 2022 6 का DG-8-94-(30) 10 जुलाई 2022 को जारी किया गया है, जिसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश में याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई छह प्राथमिकियों की अनुसंधान के लिए पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा एक विशेष अनुसंधान दल 7 का गठन किया गया है।

बी.

10. एफ. आई. आर. को रद्द करने या वैकल्पिक रूप से, ओ. एम. में उल्लिखित छह एफ. आई. आर. की अनुसंधान को एफ. आई. आर. के साथ जोड़ने के अनुरोध के अलावा, याचिकाकर्ता सभी एफ. आई. आर. में जमानत पर अंतरिम रिहाई की मांग करता है, जो ऊपर निर्धारित हैं, और इस अदालत का एक सुरक्षात्मक आदेश जिसमें निर्देश दिया गया है कि 2021 की एफ. आई. आर. 193, पी. एस. चंदौली के संबंध में कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाने चाहिए।

सी.

डी.

11. भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से 18 जुलाई 2022 को तत्काल आदेश के लिए इस न्यायालय के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया था।18 जुलाई 2022 को याचिका पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पांच प्राथमिकियों के आधार पर कोई त्वरित कदम नहीं उठाए जाएंगे जो इन कार्यवाही का विषय हैं।इस न्यायालय द्वारा 18 जुलाई 2022 को नोटिस जारी किया गया था।

ई.

12. हमने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री वृंदा ग्रोवर और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता सुश्री गरिमा प्रसाद को सुना है।

एफ.

13. याचिकाकर्ता की ओर से पेश सुश्री वृंदा ग्रोवर ने कहा किः

(i) याचिकाकर्ता द्वारा किए गए ट्वीट उन प्राथमिकियों का विषय हैं जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों के पुलिस थानों में दर्ज की गई हैं।

जी.

(ii) सभी प्राथमिकियां, मोटे तौर पर, समान प्रावधानों, अर्थात् धाराओं के तहत दंडनीय कथित अपराधों को शामिल करती हैं।

6 “ओम "7" एसआईटी "

एच.

506

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 18 एस सी आर।

153 ए, भारतीय दण्ड संहिता सी. की 295 ए, 298 और 505 और आई. टी. अधिनियम की धारा 67;

(iii) दिल्ली में विशेष प्रकोष्ठ में दर्ज की गई प्राथमिकी में, याचिकाकर्ता को रिमांड के आदेश के अधीन किया गया था, जिसके बाद अंततः उसे पटियाला हाउस अदालतों में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा नियमित जमानत दे दी गई है।दिल्ली पुलिस द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की गई स्थिति रिपोर्ट से संकेत मिलेगा कि अनुसंधान का दायरा बढ़ाया गया है ताकि एफसीआरए के प्रावधानों को भी शामिल किया जा सके; और

बी.

सी.

(iv) मोटे तौर पर, दिल्ली पुलिस द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट में जिन ट्वीट्स का विज्ञापन किया गया है, वे भी उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गई प्राथमिकियों का विषय हैं।

डी.

14. उपरोक्त परिसर में, अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि:

(i) किसी भी ट्वीट में याचिकाकर्ता ने दूरस्थ रूप से ऐसी किसी भी भाषा का उपयोग नहीं किया है जो अनुचित है या जो एक अपराध के बराबर होगी जिसके संदर्भ में आपराधिक कानून के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है;

ई.

(ii) इसके विपरीत, कई ट्वीट्स में, याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग किया था और अन्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए भाषणों के परिणामस्वरूप कानून प्रवर्तन तंत्र द्वारा कार्रवाई का आह्वान किया था जो आपत्तिजनक पाए गए थे;

एफ.

(iii) याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई सभी प्राथमिकियों की गंभीरता अनिवार्य रूप से वही रहती है, जो याचिकाकर्ता द्वारा किए गए ट्वीट्स से उत्पन्न होती है।

((iv) आपराधिक कानून के साधन का उपयोग याचिकाकर्ता की आवाज को परेशान करने और चुप कराने के लिए किया गया है जो उस तरीके से स्पष्ट होगा जिसमें याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश राज्य में दर्ज की गई प्राथमिकियों से उत्पन्न होने वाली लगातार कार्यवाही का सामना करना पड़ा है; और

जी.

एच.

(v) याचिकाकर्ता को कई ट्वीट्स के प्रकाशन के बाद अपने जीवन की सुरक्षा के संबंध में एक वास्तविक और वास्तविक आशंका है, जिसमें धमकी दी गई है और उसकी सुरक्षा पर इनाम रखा गया है।

15. इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, अदालत को प्राथमिकियों को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि जिन ट्वीट्स के आधार पर प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, उनमें से कोई भी किसी भी समुदाय के प्रति घृणा को नहीं उकसाता है या किसी भी धर्म या धार्मिक संप्रदाय के लिए अपमानजनक नहीं है।

बी.

16. इन प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए सुश्री गरिमा प्रसाद ने प्रस्तुत किया

वहः

सी.

(i) एक वास्तविक आशंका है कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए ट्वीट्स ने नफरत फैलाई है;

((ii) याचिकाकर्ता द्वारा किए गए ट्वीट्स में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की वास्तविक क्षमता है।

डी.

((ग) एस. आई. टी. का गठन उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए किया गया था; और

(iv) बार-बार ट्वीट करने के कृत्यों में शामिल होने में याचिकाकर्ता का आचरण आपराधिक कानून के आह्वान को उचित ठहराएगा।17. फैसले के प्रारंभिक भाग में तथ्यों का वर्णन इंगित करेगा कि एफ. आई. आर. संख्या 172/2022 जो 20 जून 2022 को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ में दर्ज की गई है, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 153-ए, 295-ए, 201 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों का आह्वान करती है, जिसमें अनुसंधान प्राधिकरण ने एफ. सी. आर. ए. की धारा 35 के प्रावधानों को जोड़ा है। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक व्यापक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें अनुसंधान की प्रक्रिया, ट्वीट्स जो अनुसंधान का विषय हैं, और याचिकाकर्ता के परिसरों में की गई तलाशी और जब्ती शामिल है।दूसरे शब्दों में, रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा की गई अनुसंधान प्रकृति में व्यापक है और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए ट्वीट्स के सरगम में फैली हुई है।याचिकाकर्ता को पटियाला हाउस अदालतों में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के 15 जुलाई 2022 के एक आदेश द्वारा प्राथमिकी संख्या 172/2022 से उत्पन्न कार्यवाही में नियमित जमानत दी गई थी।

ई.

एफ.

जी.

एच.

508

18. सीतापुर जिले के पीएस खैराबाद में दर्ज प्राथमिकी संख्या 226/2022 से उत्पन्न इस अदालत में पहुंची कार्यवाही में, याचिकाकर्ता को 8 जुलाई 2022 को अंतरिम जमानत दी गई थी।अंतरिम जमानत देने के आदेश को 12 जुलाई 2022 को आगे के आदेशों तक बढ़ा दिया गया है। 19.हालाँकि, पहले इस अदालत द्वारा 12 जुलाई 2022 को और फिर 15 जुलाई 2022 को पटियाला हाउस अदालतों द्वारा जमानत की मंजूरी, याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं रही है।याचिकाकर्ता अभी भी लगातार प्राथमिकियों में उलझा हुआ है जो उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज की गई हैं जहां वह न्यायिक हिरासत में है और जमानत देने के लिए आवेदन लंबित हैं। अभियोजन पक्ष पुलिस रिमांड के आदेश की मांग करता है।

बी.

सी.

20. अनिवार्य रूप से, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप उन ट्वीट्स से संबंधित हैं जो उनके द्वारा लगाए गए हैं।हाथरस कोटवाली, सिकंदर राव और खैराबाद के पुलिस थानों द्वारा सीआरपीसी की धारा 91 के तहत जारी किए गए तीन नोटिस शब्दशः समान हैं।रिकॉर्ड से पता चला है कि याचिकाकर्ता की दिल्ली पुलिस द्वारा निरंतर अनुसंधान की गई है, हम याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता से वंचित रहने का कोई कारण या औचित्य नहीं पाते हैं।नतीजतन, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इन कार्यवाही का विषय बनने वाली प्रत्येक प्राथमिकी में अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी की शक्ति के अस्तित्व को गिरफ्तारी की शक्ति के प्रयोग से अलग किया जाना चाहिए।गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए।वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को आगे भी निरंतर हिरासत में रखने और विभिन्न अदालतों के समक्ष उसे अंतहीन दौर की कार्यवाही के अधीन करने का कोई औचित्य नहीं है, जब याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए ट्वीट्स से उक्त प्राथमिकियों में से प्रत्येक में आरोपों की गंभीरता सामने आती है,

और जो दिल्ली पुलिस द्वारा प्राथमिकी 172/2022 में की जा रही अनुसंधान का विषय भी है।

डी.

ई.

एफ.

21. अर्णब रंजन गोस्वामी बनाम भारत संघ में, 8

कार्यवाही की बहुलता और अभियुक्त को परेशान करने के मुद्दे पर, दो न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें हम में से एक (डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़) एक हिस्सा थे, ने फैसला सुनायाः

जी.

“32. संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए इस न्यायालय को सौंपे गए संवैधानिक कर्तव्य की मान्यता का गठन करता है।पत्रकारिता की स्वतंत्रता का अभ्यास निहित है

8 (2020) 14 एससीसी 12 ए

एच.

509

मोहम्मद जुबैर बनाम दिल्ली और ओ. आर. एस. के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का राज्य। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

भाषण और अभिव्यक्ति का मूल अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा संरक्षित है।याचिकाकर्ता एक मीडिया पत्रकार है।टेलीविजन शो पर विचारों का प्रसारण जो वह होस्ट करते हैं, अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति के उनके मौलिक अधिकार का प्रयोग है।भारत की स्वतंत्रताएँ

जब तक पत्रकार प्रतिशोध की धमकी से शांत हुए बिना सत्ता के सामने सच बोल सकते हैं, तब तक वे सुरक्षित रहेंगे।इसका अभ्यास

बी.

कि मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है और अनुच्छेद के प्रावधानों के संदर्भ में अधिनियमित कानूनी व्यवस्था के प्रति जवाबदेह है

19(2).लेकिन एक पत्रकार को कई शिकायतों के अधीन होने की अनुमति देना और एक ही आधार वाली लगातार एफ. आई. आर. और शिकायतों का सामना करने पर कई राज्यों

और क्षेत्राधिकारों में उपचार की खोज करना उस स्वतंत्रता के प्रयोग पर एक दमनकारी प्रभाव डालता है।यह होगा।

सी.

राष्ट्र में शासन के मामलों के बारे में जानने की नागरिक की स्वतंत्रता और एक सूचित समाज सुनिश्चित करने के लिए पत्रकार के अधिकार को प्रभावी ढंग से नष्ट करना।हमारे निर्णयों में कहा गया है कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत एक पत्रकार का अधिकार नागरिक के बोलने और व्यक्त करने के अधिकार से अधिक नहीं है।लेकिन एक समाज के रूप में हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं हो सकता है।स्वतंत्र नागरिक तब अस्तित्व में नहीं रह सकते जब समाचार मीडिया को एक स्थिति का पालन करने के लिए जंजीरों से बांध दिया जाता है।"

डी.

(बल दिया गया**)**

इसके अलावा, इस न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने में अदालतों की भूमिका को दोहराया कि जांच का उपयोग उत्पीड़न के उपकरण के रूप में नहीं किया जाए:"60. [.....] न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक हित की रक्षा करने की आवश्यकता के प्रति सचेत रहना चाहिए कि आपराधिक कानून के उचित प्रवर्तन में बाधा न आए।अपराध की निष्पक्ष अनुसंधान इसके लिए सहायक है।समान रूप से यह सुनिश्चित करना सभी न्यायालयों-जिला न्यायपालिका, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि आपराधिक कानून लोगों के चुनिंदा उत्पीड़न के लिए एक हथियार न बन जाए।

ई.

एफ.

नागरिक।अदालतों को स्पेक्ट्रम के दोनों छोरों के लिए जीवित होना चाहिए-एक ओर आपराधिक कानून के उचित प्रवर्तन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता और दूसरी ओर**,** यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कानून लक्षित लोगों के लिए एक चाल न बने।

जी.

उत्पीड़न।मानव युगों में स्वतंत्रता उतनी ही कमजोर है जितनी कि कमजोर हो सकती है। स्वतंत्रता अपने नागरिकों की सतर्कता, मीडिया के शोरगुल और अदालतों के धूल भरे गलियारों में कानून के शासन (और न कि) के लिए जीवित रहती है।फिर भी, बहुत बार, स्वतंत्रता एक दुर्घटना होती है जब इनमें से किसी एक घटक की कमी पाई जाती है।

एच.

61. [.....] इस न्यायालय के दरवाजे एक ऐसे नागरिक के लिए बंद नहीं किए जा सकते हैं जो प्रथम दृष्टया यह स्थापित करने में सक्षम है कि आपराधिक कानून के बल का उपयोग करने के लिए राज्य की साधनता को हथियार बनाया जा रहा है।हमारी अदालतें

यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नागरिकों की स्वतंत्रता से वंचित होने के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति बने रहें।एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता से वंचित रहना भी एक दिन है।

बी.

कई।हमें अपने निर्णयों के गहरे प्रणालीगत प्रभावों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए।"

(बल दिया गया**)**

22. जहाँ तक एफ. आई. आर. को रद्द करने की प्रार्थना का संबंध है, मामले का एक आवश्यक पहलू जिस पर इस स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वह यह है कि एफ. आई. आर. संख्या 172/2022 में दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा की गई अनुसंधान उन अपराधों से संबंधित है जो उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशनों के समक्ष दर्ज की गई एफ. आई. आर. में दर्ज किए गए हैं।इससे पहले कि यह अदालत अनुसंधान शुरू कर सके कि क्या प्राथमिकियों को रद्द किया जाना चाहिए, यह उचित है कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 226 और/या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के प्रावधानों के अनुसार अपने उपायों का पालन करे। हालांकि, एक निष्पक्ष अनुसंधान प्रक्रिया के लिए आवश्यक होगा कि सभी प्राथमिकियों में पूरी अनुसंधान को समेकित किया जाए और एक अनुसंधान प्राधिकरण को सौंपा जाए।एफ. आई. आर. में ओवरलैप, जैसा कि वे याचिकाकर्ता के ट्वीट्स से निकलते हैं, केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों के एक विविध समूह द्वारा टुकड़ों में अनुसंधान के विपरीत, एक समेकित की आवश्यकता पर जोर देता है।

सी.

डी.

ई.

23. तदनुसार हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता की ओर से की गई वैकल्पिक प्रार्थना को स्वीकार किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई सभी प्राथमिकियों को, जिसमें याचिकाकर्ता के ट्वीट्स से उत्पन्न होने वाली उपरोक्त प्राथमिकियां भी शामिल हैं, दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को अनुसंधान के लिए

स्थानांतरित किया जाना चाहिए।उपरोक्त निर्देश के परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गठित एस. आई. टी. को निरर्थक बना दिया जाएगा और उसे भंग कर दिया जाएगा।यद्यपि हम प्रार्थना (क) में मांगी गई प्राथमिकियों को रद्द करने के लिए आगे नहीं बढ़े हैं, हम स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि हमने याचिकाकर्ता को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिकियों को रद्द करने की मांग करने की सलाह दी जाने की स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाही में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करने की स्वतंत्रता दी है।एफ. आई. आर. के संबंध में सभी कार्यवाही दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसे उपायों के लिए होगी जो कानून में उपलब्ध हैं।दिशा ए

एफ.

जी.

एच.

511

मोहम्मद जुबैर बनाम दिल्ली और ओ. आर. एस. के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का राज्य। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

उत्तर प्रदेश में दर्ज एफ. आई. आर. की अनुसंधान को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को स्थानांतरित करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा किए गए ट्वीट्स के विषय को बनाने वाली सभी मौजूदा एफ. आई. आर. और भविष्य में उसी विषय पर उसके खिलाफ दर्ज की जाने वाली किसी भी एफ. आई. आर. पर लागू होगा।

बी.

24. हम यह भी आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता अंतरिम जमानत के सुरक्षात्मक आदेश का हकदार होगा जो इस अदालत द्वारा न केवल पहले से दर्ज की गई प्राथमिकियों के संबंध में दिया गया है, बल्कि उन प्राथमिकियों के संबंध में भी है जो उसके द्वारा किए गए ट्वीट्स के संबंध में उसी विषय पर दर्ज की जाएंगी।

सी.

25. जैसा कि ऊपर वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है, याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक न्याय के तंत्र को अथक रूप से नियोजित किया गया है।इस तथ्य के बावजूद कि एक ही ट्वीट ने कथित रूप से ऊपर उल्लिखित विभिन्न प्राथमिकियों में समान अपराधों को जन्म दिया, याचिकाकर्ता को देश भर में कई जांचों का सामना करना पड़ा।नतीजतन, उसे जिलों में कई अधिवक्ताओं को नियुक्त करने, जमानत के लिए कई आवेदन दायर करने, अनुसंधान के उद्देश्यों के लिए दो राज्यों में फैले कई जिलों की यात्रा करने और कई अदालतों के समक्ष अपना बचाव करने की आवश्यकता होगी, सभी कार्रवाई के एक ही कथित कारण के संबंध में।नतीजतन, वह

आपराधिक प्रक्रिया के एक दुष्चक्र में फंस जाता है जहां प्रक्रिया ही सजा बन गई है।ऐसा भी प्रतीत होता है कि 2021 से कुछ निष्क्रिय प्राथमिकियों को सक्रिय कर दिया गया था क्योंकि कुछ नई प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं, जिससे याचिकाकर्ता को होने वाली कठिनाइयों को बढ़ाया गया था।

डी.

ई.

26. पुलिस अधिकारियों को आपराधिक न्याय प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की शक्ति निहित है, जिसमें अनुसंधान के दौरान भी शामिल है।लेकिन यह शक्ति बेलगाम नहीं है।सी. आर. पी. सी. की धारा 41 (1) (बी) (2) के संदर्भ में, विचाराधीन पुलिस अधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए कि इस तरह की गिरफ्तारी गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए आवश्यक है, अपराध की उचित अनुसंधान के लिए, गिरफ्तार व्यक्ति को सबूतों के साथ छेड़छाड़ या नष्ट करने से रोकने के लिए, उन्हें संभावित गवाहों को प्रभावित करने या डराने से रोकने के लिए, या जब उन्हें गिरफ्तार किए बिना अदालत में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना संभव नहीं है।

एफ.

जी.

27. पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे अपने समक्ष मामले पर अपना दिमाग लगाएं और यह सुनिश्चित करें कि धारा 41 की शर्तों को पहले पूरा किया जाए।

एच.

वे गिरफ्तारी करते हैं।इस न्यायालय ने बार-बार ऐसा करने के महत्व को दोहराया है, जिसमें अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, 9 भी शामिल है, जिसमें न्यायालय ने कहा थाः

“6. [……] गिरफ्तार करने की शक्ति का अस्तित्व एक बात है, इसके प्रयोग का औचित्य बिल्कुल अलग है।गिरफ्तारी की शक्ति के अलावा, पुलिस अधिकारियों को अपने कारणों को उचित ठहराने में सक्षम होना चाहिए।किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध करने के मात्र आरोप पर नियमित तरीके से कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है।28. हमारे पास एक बार फिर दोहराने का अवसर है कि अर्नेश कुमार (ऊपर) में निर्धारित दिशानिर्देशों का बिना किसी अपवाद के पालन किया जाना चाहिए।संज्ञेय अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी की शक्तियों का

कारण धारा 41 में निर्धारित किया गया है।गिरफ्तारी का उद्देश्य दंडात्मक उपकरण के रूप में उपयोग करना नहीं है और न ही किया जाना चाहिए क्योंकि इसके परिणामस्वरूप आपराधिक कानून से उत्पन्न होने वाले सबसे गंभीर संभावित परिणामों में से एक होता है:व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नुकसान।व्यक्तियों को केवल आरोपों के आधार पर और निष्पक्ष सुनवाई के बिना दंडित नहीं किया जाना चाहिए।जब गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग विवेक के प्रयोग के बिना और कानून का उचित सम्मान किए बिना किया जाता है, तो यह शक्ति का दुरुपयोग है।आपराधिक कानून और इसकी प्रक्रियाओं को उत्पीड़न के उपकरण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।सी. आर. पी. सी. की धारा 41 के साथ-साथ आपराधिक कानून में सुरक्षा उपाय इस वास्तविकता की मान्यता में मौजूद हैं कि किसी भी आपराधिक कार्यवाही में लगभग अनिवार्य रूप से एक अकेले व्यक्ति के खिलाफ असीमित संसाधनों के साथ राज्य की शक्ति शामिल होती है।

बी.

सी.

डी.

ई.

29. उत्तर प्रदेश राज्य के अधिवक्ता ने इस अदालत को यह समझाने का प्रयास किया कि याचिकाकर्ता को जमानत पर होने पर ट्वीट करने से रोका जाना चाहिए।धारा 438 (2) में कहा गया है कि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय किसी व्यक्ति को सशर्त जमानत पर रिहा करने का निर्देश दे सकता है।प्रावधान में प्रावधान है कि न्यायालय किसी विशेष मामले के तथ्यों के संदर्भ में शर्तें लगाएगा।धारा 437 और 438 में निर्धारित उदाहरणात्मक जमानत शर्तों की सूची एक उचित अनुसंधान और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता से संबंधित है या अभियुक्त को 11 के समान अपराध करने से रोकने के लिए, या न्याय 12 के हित में।'न्याय के हित' वाक्यांश की व्याख्या इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों में की गई है जहां यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जमानत पर शर्तें लगाने में न्यायालय के विवेकाधिकार का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए।

एफ.

जी.

9 (2014) 8 एस. सी. सी. 273

10 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 (2) और 437 (3) (सी) 11 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (3) (बी)

एच.

12 सी. आर. पी. सी. ए की धारा 437

मोहम्मद जुबैर बनाम दिल्ली और ओ. आर. एस. के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का राज्य। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

और एक निष्पक्ष मुकदमे को आगे बढ़ाना।13 न्यायालय द्वारा लगाई गई जमानत की शर्तों का न केवल उस उद्देश्य के साथ संबंध होना चाहिए जिसे वे पूरा करना चाहते हैं, बल्कि उन्हें लागू करने के उद्देश्य के समानुपाती भी होना चाहिए।जमानत की शर्तें लगाते समय अदालतों को अभियुक्त की स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता को संतुलित करना चाहिए। ऐसा करते समय, उन शर्तों से बचना चाहिए जिनके परिणामस्वरूप अधिकारों और स्वतंत्रताओं से वंचित होना पड़ता है।में।

बी.

परवेज नूरदीन लोखंडवाला बनाम राज्य में निर्णय

महाराष्ट्र 14, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें हममें से एक (डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़) एक हिस्सा थे, ने यह कहा कि जमानत की शर्तें उन्हें लागू करने के उद्देश्य से असमान नहीं होनी चाहिएः

“21. [.....] जमानत देने के लिए अदालत जो शर्तें लगाती है-इस मामले में अस्थायी जमानत-उन्हें अभियुक्त के अधिकारों के साथ आपराधिक न्याय के प्रवर्तन में सार्वजनिक हित को संतुलित करना होता है।गरिमा का मानव अधिकार और संवैधानिक सुरक्षा उपायों का संरक्षण उन शर्तों को लागू करने से भ्रामक नहीं होना चाहिए जो अभियुक्त की उपस्थिति, अनुसंधान के उचित पाठ्यक्रम और अंततः एक निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता के अनुरूप नहीं हैं।अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का शर्तों को लागू करने के उद्देश्य के साथ आनुपातिक संबंध होना चाहिए।इस मामले में मांगी गई अनुमति से उत्पन्न जोखिम की प्रकृति का प्रत्येक मामले में सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।”

सी.

डी.

ई.

30. केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर शिकायतें उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट से उत्पन्न होती हैं, इसलिए उन्हें ट्वीट करने से रोकने के लिए एक व्यापक अग्रिम आदेश नहीं दिया जा सकता है।याचिकाकर्ता को अपनी राय व्यक्त नहीं करने का निर्देश देने वाला एक व्यापक आदेश-एक राय कि वह एक सक्रिय भाग लेने वाले नागरिक के रूप में रखने का अधिकार रखता है-जमानत पर शर्तें लगाने के उद्देश्य से असमान होगा।इस तरह की शर्त को लागू करना याचिकाकर्ता के खिलाफ एक प्रतिबंध आदेश के समान

होगा।गैग आदेशों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक डरावना प्रभाव पड़ता है।याचिकाकर्ता के अनुसार, वह एक पत्रकार है जो एक तथ्य जाँच वेबसाइट का सह-संस्थापक है और वह विकृत छवियों, क्लिकबेट और अनुरूप वीडियो के इस युग में झूठी खबरों और गलत सूचनाओं को दूर करने के लिए संचार के माध्यम के रूप में ट्विटर का उपयोग करता है।प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित करना

एफ.

जी.

13 कुणाल कुमार तिवारी बनाम बिहार राज्य, (2018) 16 एस. सी. सी. 74; दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2013) 15 एस. सी. सी. 570; सुमित सिंह बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), (2013) 15 एस. सी. सी. 570।

14 (2020) 10 एससीसी 77

एच.

सोशल मीडिया पर पोस्ट करना भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता का अनुचित उल्लंघन होगा।

31. उपरोक्त कारणों से, हम निम्नलिखित निर्देशों के संदर्भ में याचिका को आंशिक रूप से अनुमति देते हैं:

बी.

(i) याचिकाकर्ता अंतरिम जमानत पर बढ़ेगा, बशर्ते वह निम्नलिखित प्राथमिकियों के संबंध में 20,000 रुपये की राशि का व्यक्तिगत रिहाई बांड दाखिल करे।

क) भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 153,153-ए, 295-ए, 505,120-बी और 34 के तहत प्राथमिकी संख्या <आई. डी. 2, दिनांक 15.06.2021, पीएस लोनी सीमा, जिला गाजियाबाद।

सी.

बी) आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पीएस चंदौली में दर्ज प्राथमिकी संख्या 193/2021 दिनांक 27.08.2021।

ग) भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 153-ए, 153 बी/505 (1) 8 और 505 (2) के तहत एफ. आई. आर. सं. <आई. डी. 2, दिनांक 18.09.2021, पी. एस. मोहम्मदी जिला लखीमपुर।

डी.

घ) एफ. आई. आर. सं. 226/2022 दिनांक 01.06.2022, पी. एस. खैराबाद, जिला सीतापुर, यू/धारा 295-ए (2) भारतीय दण्ड संहिता सी. और आई. टी. अधिनियम की धारा 67।

ई.

ई) भारतीय दण्ड संहिता सी. की यू/एस 147,149,153 ए, 353,188,120-बी और सी. एल. ए. अधिनियम की यू/एस 7 के तहत एफ. आई. आर. संख्या 286/2022 दिनांक 10.06.2022, पी. एस. सिकंदराव, हाथरस; और

च) भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 153-ए, 295-ए, 298 और आई. टी. अधिनियम की धारा 67 की शिकायत पर एफ. आई. आर. सं. <आई. डी. 3, दिनांक <आई. डी. 1, पी. एस. हाथरस कोटवाली; (ii) पी. एस. चरथावल, मुजफ्फरनगर में पंजीकृत 24 जुलाई 2021 की अपराध संख्या 199 के संबंध में, सी. आर. पी. सी. की धारा 173 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।उक्त मामला अपराध के संबंध में कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस न्यायालयों को स्थानांतरित कर दी जाएगी और उस स्तर से शुरू की जाएगी जो पूर्ववर्ती न्यायालय के समक्ष पहुँचा गया है।याचिकाकर्ता को जमानत पर बढ़ा दिया गया है।याचिकाकर्ता को जमानत पर बढ़ाने का आदेश लागू रहेगा; ए

एफ.

जी.

एच.

515

मोहम्मद जुबैर बनाम दिल्ली और ओ. आर. एस. के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का राज्य। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

(iii) उपरोक्त पैराग्राफ (i) में निर्धारित प्राथमिकियों की अनुसंधान उत्तर प्रदेश पुलिस से दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को स्थानांतरित कर दी जाएगी।परिणामस्वरूप, 10 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित एस. आई. टी. भंग हो जाएगी।

(iv) उपरोक्त (i) और (iii) में निहित निर्देश किसी भी अन्य एफ. आई. आर. के लिए विस्तारित होंगे जो याचिकाकर्ता के खिलाफ उसी विषय वस्तु के संबंध में दर्ज की जा सकती

है जिसमें उपरोक्त एफ. आई. आर. जिसमें (ए) एफ. आई. आर. की अनुसंधान दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को हस्तांतरित की जाएगी; (बी) याचिकाकर्ता अंतरिम जमानत के आदेश का हकदार होगा, जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है।

बी.

सी.

(v) याचिकाकर्ता को उन प्राथमिकियों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226/दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाही में अपने अधिकारों और उपायों को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता होगी जो उसके खिलाफ दर्ज की गई हैं या जो दर्ज की जा सकती हैं, और उस स्थिति में, इस निर्णय में निहित कुछ भी ऐसी कार्यवाही के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के बराबर नहीं होगा; और

डी.

(vi) उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में जमानत बांड पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।जमानत बांड की प्रस्तुति के तुरंत बाद, तिहाड़ जेल का अधीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा कि याचिकाकर्ता को आज शाम 6 बजे तक न्यायिक हिरासत से रिहा कर दिया जाए।

ई.

एफ.

32. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

दिव्या पांडे

लिखित याचिका की आंशिक रूप से अनुमति है।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

जी.

एच.